

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक २२ अगस्त, 2014

विषय: विधि कार्य विभाग में 'हिंदी दिवस' के अवसर पर दिनांक 1 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक 'हिंदी माह' मनाया जाना और विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी विधि सचिव की स्वीकृति से विधि कार्य विभाग में 'हिंदी दिवस' के अवसर पर दिनांक 1 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक 'हिंदी माह' मनाया जा रहा है।

2. राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए उपर्युक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 'हिंदी माह' के दौरान विभाग में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये प्रतियोगिताएं निम्न कार्यक्रम के अनुसार कमरा सं. 440, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी:-

क्र.सं.	प्रतियोगिता	आयोजन की तिथि एवं समय
1	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 (अपराह्न 3.00 बजे) (राजभाषा एकक में)
2	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2014 (अपराह्न 3.00 बजे)
3	अनुवाद प्रतियोगिता	वीरवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न 11.00 बजे)
4	हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता [केवल अवर श्रेणी लिपिकों/कोर्ट कलर्कों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (दैनिक वेतन कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए]	वीरवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 (अपराह्न 3.00 बजे)
5	हिंदी टिप्पण व प्रारूपण प्रतियोगिता	शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न 11.00 बजे)
6	हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता	शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 (अपराह्न 3.00 बजे)

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, हिंदी में कामकाज प्रतियोगिता भी होगी, जो प्रतियोगियों द्वारा हिंदी माह अर्थात् दिनांक 1 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक हिंदी में किए गए कार्य के आधार पर होगी। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को हिंदी माह के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर भेजना होगा। साथ ही, किए गए कार्य के कम से कम पांच मसौदों/पृष्ठों की फोटोप्रतियां भी नमूने के तौर पर भेजनी होंगी। कुल 100 अंकों की इस प्रतियोगिता में 80 अंक हिंदी में किए गए कार्य की शब्द संख्या के लिए और 20 अंक कार्य की गुणवत्ता के लिए होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जांच कामकाज के साथ भेजे गए मसौदों की फोटोप्रतियों से की जाएगी। जिन प्रविष्टियों के


साथ किए गए कार्य के कम से कम पाच पृष्ठों/मसौटों के नमूनों की फोटोप्रतियाँ नहीं लगी होंगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूनों की ये फोटोप्रतियाँ भी संबंधित अनुभाग अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित होनी चाहिए। प्रविष्टियां संबंधित अनुभाग के माध्यम से दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 तक राजभाषा एकक (वि.का.) में पहुंच जानी चाहिए।

4. उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में विधि कार्य विभाग के केवल दिल्ली स्थित कार्यालयों/अनुभागों/एककों के अधिकारी/कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। संविदा पर नियुक्त और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भाग लेने के पात्र नहीं हैं। प्रतियोगिताओं के नियमों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी संलग्न उपाबंध में दी गई है।

5. विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को गत वर्षों की भाँति नियमानुसार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे व प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे तथा इसका उल्लेख उनकी सेवा-पुस्तिकाओं में भी किया जाएगा।

6. विधि कार्य विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक सख्ती में भाग लेकर इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाएं व विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में अपना योगदान दें।

7. उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी अपने नाम, पदनाम, अनुभाग/कार्यालय, मातृभाषा संबंधी जानकारी 10 सितम्बर, 2014 तक राजभाषा एकक को अवश्य भेज दें।



(विजय सिंह मीणा)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23385383


संलग्न: यथोक्त

सेवा में,

- विधि कार्य विभाग के दिल्ली स्थित सभी कार्यालयों/अनुभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी।
- विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण/केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग/मुकदमा (उच्च न्यायालय)/मुकदमा (निम्न न्यायालय) के अधिकारी एवं कर्मचारी।

प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:

1. शाखा सचिवालय, मुम्बई/कोलकाता/बंगलूरु/चेन्नै/भारत का विधि आयोग/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/पंजीकार, आयकर अपीलीय अधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी अपने यहां हिंदी दिवस (दिनांक 14 सितंबर, 2014) के अवसर पर हिंदी सप्ताह/हिंदी पर्खवाड़ा/हिंदी माह आदि मनाएं और विविध कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें तथा इस विषय में विस्तृत रिपोर्ट विभाग को भेजें।



(विजय सिंह मीणा)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23385383

प्रतियोगिताओं के नियम एवं जानकारी

1. विधि कार्य विभाग के दिल्ली स्थित सभी कार्यालयों/अनुभागों/एककों के अधिकारी एवं कर्मचारी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। संविदा पर नियुक्त और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
2. जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगू, मलयालम, बंगला, उड़िया, असमिया होगी मूल्यांकन करते समय उन्हें 20% अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा।
3. राजभाषा एकक में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
4. इन प्रतियोगिताओं में, प्रत्येक के लिए पुरस्कार राशि निम्न प्रकार होगी : -
 - (i) प्रथम पुरस्कार - 3000/- रुपये
 - (ii) द्वितीय पुरस्कार - 2000/- रुपये
 - (iii) तृतीय पुरस्कार - 1000/- रुपये
 - (iv) पांच प्रोत्साहन पुरस्कार - 500/- रुपये प्रत्येक
 - (v) पांच सांत्वना पुरस्कार - 300/- रुपये प्रत्येक

(प्रोत्साहन पुरस्कारों और सांत्वना पुरस्कारों की संख्या में विधि सचिव की स्वीकृति से कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी)

1. हिंदी निबंध प्रतियोगिता

- (क) हिंदी निबंध प्रतियोगिता में दिए गए किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखना होगा। विषय प्रतियोगिता के समय उपलब्ध कराये जाएंगे। निबंध 1500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ख) प्रतियोगिता का समय डेढ़ (1.30) घण्टा होगा।
- (ग) निबंध 100 अंकों का होगा और भाषा, शैली एवं विचारों की स्पष्टता आदि की श्रेष्ठता के आधार पर अंक दिये जाएंगे। हिंदी निबंध प्रतियोगिता में कुल 100 अंकों में से कम-से-कम 40 अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

2. अनुवाद प्रतियोगिता

- (क) अनुवाद प्रतियोगिता में दो पैराग्राफ दिये जाएंगे - एक हिंदी का तथा दूसरा अंग्रेजी का, जिनका क्रमशः अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके अलावा, अनुवाद हेतु अंग्रेजी व हिंदी के कुछ शब्द, वाक्यांश और लघु टिप्पणियां भी होंगी।
- (ख) अनुवाद प्रतियोगिता में कुल 100 अंकों में से कम-से-कम 40 अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।
- (ग) प्रतियोगिता का समय डेढ़ (1.30) घण्टा होगा।

3. हिंदी टंकण प्रतियोगिता

- (क) हिंदी टंकण प्रतियोगिता का समय 10 मिनट होगा।
(ख) हिंदी टंकण प्रतियोगिता में कुल 100 अंकों में से कम से कम 40 अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।
(ग) हिंदी टंकण प्रतियोगिता कम्प्यूटर पर मुख्यतया यूनीकोड- मंगल फॉट पर होगी।

4. हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता

- (क) हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता में श्रुतलेख का समय 5 मिनट होगा। इसके बाद टाइपिंग के लिए अपेक्षित समय नियमानुसार दिया जाएगा।
(ख) हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता में कुल 100 अंकों में से कम से कम 40 अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

5. हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता

- (क) हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता में 5 प्रश्न होंगे जिनमें टिप्पणी लिखने और मसौदा तैयार करने, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, प्रशासनिक शब्दावली, प्रेस विज्ञप्ति इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
(ख) हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता कुल 100 अंकों की होगी और कम से कम 40 अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

6. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता

- (क) हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता केवल अवर श्रेणी लिपिकों/कोर्ट क्लर्कों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (दैनिक वेतन कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए होगी। इस प्रतियोगिता में हिंदी भाषा का एक पैराग्राफ बोला जाएगा। शब्दों की संख्या लगभग 300 होगी। इस प्रतियोगिता में वर्तनी की शुद्धता के आधार पर अंक दिए जाएंगे।
(ख) प्रतियोगिता 100 अंकों की होगी और कम से कम 40 अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।
(ग) प्रतियोगिता का समय 30 मिनट होगा।

7. हिंदी में कामकाज प्रतियोगिता

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को "हिंदी माह" यथा 1 सितम्बर, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक हिंदी में किए गए सरकारी कामकाज का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्र में अपने अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से अधिप्रमाणित कराकर 8 अक्तूबर, 2014 तक राजभाषा एकक, विधि कार्य विभाग को भेजना होगा। प्रतियोगिता में हिंदी में लिखे गये या टाइप किए गए

शब्दों को ही हिसाब में लिया जाएगा। जहां मानक मर्सौदे/साइक्लोस्टाइल मर्सौदे प्रयोग में लाए जाते हैं, वहां केवल वही शब्द हिसाब में लिए जाएंगे जो हाथ से लिखे गये हों या टाइप किए गए हों। टंककों द्वारा किए गए टकण कार्य को इस प्रतियोगिता में रखीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगी को हिंदी माह के दौरान हिंदी में किए गए कार्य के विवरण के साथ किए गए कार्य के कम से कम पांच मर्सौदों/पृष्ठों की फोटोप्रति भी नमूने के तौर पर प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रतियोगिता भी कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें 80 अंक किए गए कार्य की शब्द संख्या के लिए और 20 अंक उसकी गुणवत्ता के लिए निर्धारित होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जांच कामकाज के लेखे-जोखे के साथ प्रतियोगी द्वारा प्रस्तुत किए गए मर्सौदों के नमूनों से की जाएगी। जिन प्रविष्टियों के साथ कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के पांच मर्सौदों/पृष्ठों के नमूनों की फोटोप्रतियां नहीं लगी होंगी, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूनों की ये फोटोप्रतियां भी संबंधित अनुभाग अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित होनी चाहिए। हिंदी में कामकाज प्रतियोगिता के अधीन ‘‘हिंदी माह’’ के दौरान कम से कम 500 शब्द हिंदी में लिखने वाले प्रतियोगी ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी विधि कार्य विभाग द्वारा दिनांक
1.9.2014 से 30.9.2014 तक हिंदी में किए गए कामकाज का लेखा-जोखा।

क्रम संख्या	फाइलों/रजिस्टरों की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया	लिखे गए हिंदी शब्दों की कुल संख्या	अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर